न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :–उमर दीन खान,
आई.ए.एस.

गुण्डा एक्ट प्रकरण संख्या :– 12/2020

राजस्थान सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक,झुंझुनूं।
–बनाम–
शौकत पुत्र शकूर, जाति लीलगर, निवासी वार्ड नम्बर 18 मुकुन्दगढ़ थाना मुकुन्दगढ़ जिला झुंझुनूं।

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 खण्ड (ख)(5)
राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975

उपस्थिति :–
1. सरकार की ओर से :–श्री सहायक लोक अभियोजक (प्रथम)
2. गैर सायल की ओर से :– स्वयं

–निर्णय–

दिनांक 18.11.2020

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू ने दिनांक 06.10.2020 को गैर सायल शौकत पुत्र शकूर, जाति लीलगर, निवासी वार्ड नम्बर 18 मुकुन्दगढ़ थाना मुकुन्दगढ़ जिला झुंझुनूं के खिलाफ इस्तगासा पेश किया कि शौकत पुत्र शकूर, जाति लीलगर, निवासी वार्ड नम्बर 18 मुकुन्दगढ़ थाना मुकुन्दगढ़ जिला झुंझुनूं का रहने वाला है जो एक अपराधिक मनोवृति व अव्वल दर्जे का आदतन जुआरी है तथा उसने जुआ के कारोबार में युवा पीढ़ी को धकेल रहा है, इसका जुआ का कारोबार लगातार बढ़ रहा है। इसके डर के कारण कोई भी व्यक्ति इसके खिलाफ थाने पर इसकी गतिविधियों की सूचना देने व रिपोर्ट दर्ज कराने से कतराता है तथा ना ही कोई व्यक्ति इसके विरूद्ध गवाही देने के लिए तैयार होता है तथा समाज मे इसका भय है। गैरसायल के कृत्य के कारण कस्बा मुकुन्दगढ़ व आस – पास के क्षेत्र में जुआ खेलने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है। उक्त गैर सायल के कृत्य अभी भी मौका लगने पर लगातार जारी है इसकी इस प्रकार की गतिविधियों से युवा पीढ़ी व समाज में विपरीत असर पड रहा है। युवा पीढी को अवैध जुआ के कारोबार की तरफ खींचता ले जा रहा है। इस कारण से युवा पीढ़ी के लोग घरों से पैसे एवं गहना एवं अन्य कीमती सामान आदि को दाव पर लगा देते है तथा जुआ में हार होने की स्थिति में अन्य अपराधिक गतिविधियों में लिप्त हो जाते है तथा आत्महत्या करने की ओर भी अग्रसर हो जाते है गैर सायल के विरूद्ध जुआ खेलने के संबंध में 03 अभियोग दर्ज है। उक्त शख्स द्वारा किये गये अपराध एंव दोषसिद्धि का विवरण निम्न प्रकार है :–

1. अभियोग संख्या 146/17 दिनांक 02.09.2017 धारा 13 आरपीजीओ अधि0 थाना मुकुन्दगढ़ में पंजीबद्ध होकर चार्ज सीट नम्बर 97/17 दिनांक 04.09.2017 को न्यायालय में पेश किया गया जिसमें बाद अन्वीक्षा माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 06.09.2017 में अभियुक्त को दोषसिद्ध मानते हुए 200 रूपये के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया।
2. अभियोग संख्या 52/18 दिनांक 06.04.2018 धारा 13 आरपीजीओ अधि0 थाना मुकुन्दगढ़ में पंजीबद्ध होकर चार्ज सीट नम्बर 27/18 दिनांक 10.04.2018 को न्यायालय में पेश किया गया। जिसमें बाद अन्वीक्षा माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 24.04.2018में अभियुक्त को दोषसिद्ध मानते हुए 200 रूपये के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया।
3. अभियोग संख्या 164/18 दिनांक 02.10.2018 धारा 13 आरपीजीओ अधि0 थाना मुकुन्दगढ़ में पंजीबद्ध होकर चार्ज सीट नम्बर 126/18 दिनांक 03.10.2018 को न्यायालय में पेश किया गया।

District Magistrate
JHUNJHUNU

(36)

जिसमें बाद अन्वीक्षा माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 09.10.2018 में अभियुक्त को दोषसिद्ध मानते हुए 300 रूपये के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया।

इस प्रकार उक्त शौकत पुत्र शकूर, जाति लीलगर, निवासी वार्ड नम्बर 18 मुकुन्दगढ़ थाना मुकुन्दगढ़ जिला झुंझुनूं का यह कृत्य राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3/2 के खण्ड (ख) उपखण्ड (5) की परिभाषा में पूर्ण रूप से आता है, जिसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावें।

इस्तगासा पेश होने पर गैर सायल को उसके खिलाफ लगाये आरोपों की सूचना को नोटिस देकर तलब किया गया तथा दिनांक 03.11.2020 को गैरसालय ने न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर उक्त कृत्यों को स्वीकार किया तथा अधिवक्ता नियुक्त नहीं करना चाहा।

बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान एपीपी–1 ने बताया कि गैर सायल के खिलाफ पुलिस थाना मुकुन्दगढ़ जिला झुंझुनूं में निम्न अभियोग दर्ज होकर न्यायालय में चालान पेश किये गये हैं–

1. अभियोग संख्या 146/17 दिनांक 02.09.2017 धारा 13 आरपीजीओ अधि0 थाना मुकुन्दगढ़ में पंजीबद्ध होकर चार्ज सीट नम्बर 97/17 दिनांक 04.09.2017 को न्यायालय में पेश किया गया जिसमें बाद अन्वीक्षा माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 06.09.2017 में अभियुक्त को दोषसिद्ध मानते हुए 200 रूपये के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया।
2. अभियोग संख्या 52/18 दिनांक 06.04.2018 धारा 13 आरपीजीओ अधि0 थाना मुकुन्दगढ़ में पंजीबद्ध होकर चार्ज सीट नम्बर 27/18 दिनांक 10.04.2018 को न्यायालय में पेश किया गया। जिसमें बाद अन्वीक्षा माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 24.04.2018 में अभियुक्त को दोषसिद्ध मानते हुए 200 रूपये के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया।
3. अभियोग संख्या 164/18 दिनांक 02.10.2018 धारा 13 आरपीजीओ अधि0 थाना मुकुन्दगढ़ में पंजीबद्ध होकर चार्ज सीट नम्बर 126/18 दिनांक 03.10.2018 को न्यायालय में पेश किया गया। जिसमें बाद अन्वीक्षा माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 09.10.2018 में अभियुक्त को दोषसिद्ध मानते हुए 300 रूपये के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया।

इस प्रकार गैर सायल राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधि0 1975 की धारा 2 खण्ड (ख) के उपखण्ड (5) में अंकित धारा के अधीन 3 बार दोषसिद्ध होने के कारण गुण्डा की परिभाषा में आता है। अतः इसे झुंझुनू जिले से निष्कासित किया जावे।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस विद्वान एपीपी–1 पर ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात/साक्ष्य के मुताबिक गैरसायल के खिलाफ पुलिस थाना मुकुन्दगढ़ जिला झुन्झुनू में अभियोग संख्या 146/17 दिनांक 02.09.2017 धारा 13 आरपीजीओ अधि0, अभियोग संख्या 52/18 दिनांक 06.04.2018 धारा 13 आरपीजीओ अधि0, तथा अभियोग संख्या 164/18 दिनांक 02.10.2018 धारा 13 आरपीजीओ अधि0 में पुलिस थाना मुकुन्दगढ़ जिला झुन्झुनू में दर्ज हुई थी, जिसकी प्रमाणित प्रति प्रस्तुत हुई है। इसकी चार्जशीट न्यायालय में पेश हुई थी। जिनमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 06.09.2017, 24.04.2018 व 09.10.2018 को गैरसायल शौकत को दोषी मानकर परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3 के तहत क्रमशः 200, 200, व 300 रूपये अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया गया है। गैर सायल शौकत राजस्थान गुण्डा अधिनियम 1975 के अन्तर्गत 3 बार अपराध करने के कारण गुण्डा की परिभाषा में आता है। साथ ही गैरसायल स्वयं ने उपस्थित होकर उक्त समस्त कृत्यों को स्वीकार किया है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य/सबूत को दृष्टिगत रखते हुए मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि गैरसायल यदि इस जिले में बना रहता है तो वह ऐसे अपराधों की पुनरावृति में पुनः लगकर युवा पीढी को ऐसी सामाजिक बुराई के अपराध में संलिप्त कर उन्हे दिशा भ्रमित कर सामाजिक व्यवस्था को भंग कर सकता है तथा आम जन की जान माल को नुकसान हो सकता है। ऐसी स्थिति में गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 3 (ख) (।।) मे अंकित विश्वास के कारणों के कारण गैरसायल को इस जिले से निष्कासित करना न्यायोचित व आवश्यक समझता हूं।

District Magistrate
JHUNJHUNU

अतः शौकत पुत्र शकूर, जाति लीलगर, निवासी वार्ड नम्बर 18 मुकुन्दगढ़ थाना मुकुन्दगढ़ जिला झुंझुनूं को राज0 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3(ख) (ii) के तहत 1 माह की अवधि के लिए झुन्झुनू जिले की सम्पूर्ण सीमा से निष्कासित किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त एक माह की अवधि में गैरसायल कोतवाली चुरू क्षेत्र में रहेगा तथा वह प्रतिदिन कोतवाली में उपस्थिति दर्ज करवायेगा तथा थाना कोतवाली चुरू इसकी लगातार सूचना पुलिस थाना मुकुन्दगढ़ जिला झुन्झुनू को देंगे तथा थानाधिकारी थाना मुकुन्दगढ़ झुन्झुनू गैर सायल की गतिविधियों बाबत पाक्षिक सूचना इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। इस दौरान गैर सायल ऐसे अपराध एवं अन्य असमाजिक गतिविधियों में शामिल नहीं रहेगा । यह निर्णय दिनांक 18.11.2020 के पश्चात 07 दिवस के बाद से प्रभावी होगा। निर्णय की प्रति पुलिस अधीक्षक झुन्झुनू को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.11.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/

(उमर दीन खान)
जिला मजिस्ट्रेट,
झुंझुनू

District Magistrate
JHUNJHUNU